न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –52 / 2024 (अपील)
जीसीएमएस न0 2024 / 152

1. सत्यनारायण आत्मज राजमल
2. शशि सुमन पुत्री राजमल पत्नी स्व0 राजेन्द्र
3. ममता बाई पुत्री राजमल पत्नी बिरधीलाल
4. अशोक पुत्र राजमल
5. भीमराज पुत्र राजमल
6. उत्तम बाई पुत्री राजमल पत्नी बंशीलाल
7. लक्ष्मी बाई पुत्री राजमल पत्नी राजेन्द्र
8. भुवनेश पुत्र राजमल

   अकवाम जाति माली निवासीगण ग्राम बालीता तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. अन्तिम पुत्र रामस्वरूप
2. कालूलाल पुत्र रामस्वरूप
3. गजराज पुत्र रामस्वरूप
4. मोहनी पत्नी रामस्वरूप

   अकवाम जाति माली निवासीगण निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. जमना बाई पुत्री किशनलाल उर्फ किशना उर्फ कृष्णा पत्नी दुर्गाशंकर जाति माली निवासी नया बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी
6. भूली बाई उर्फ मूली बाई पुत्री किशनलाल उर्फ किशना उर्फ कृष्णा पत्नी गोरीशंकर जाति माली निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. सीताराम पुत्र किशनलाल उर्फ किशना उर्फ कृष्णा जाति माली निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 165 दिनांक 26.10.1972 ग्राम रसूलपुर तहसीलदार लाडपुरा

उस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश नागर, कुन्जबिहारी नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 10.12.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रसूलपुर में खातेदार नारायण वल्द नन्दा माली के फौत होने पर खाता संख्या 60 की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 26.10.1972 दर्ज कर आदेश पारित किया कि–" नारायण मृतक के दो पुत्र भंवरलाल, सोहनलाल है । भंवरलाल 30–40 साल से ससुराल में घर जंवाई रहना प्रमाणित हुआ । अतः नारायण मृतक के स्थान पर पुत्र सोहनलाल का नाम दर्ज खाता हो ।"

जिला कलेक्टर
कोटा

2. अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 26.10.1972 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.08.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने अपीलान्ट्स के दादा के खातेदारी की आराजी ग्राम रसूलपुर पटवार हल्का खेडा तहसील लाडपुरा के माल में पुराना खसरा नम्बर 83,83 मिन, 392, 392 मिन, के वर्तमान खसरा नम्बर 148 की 1.29 हे0, खसरा नम्बर 149 की रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 684 की रकबा 0.59 हे0, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.04 हे0, कुल किता 4 की रकबा 1.98 हे0 आराजी त्रुटि पूर्ण रूप से भूमि का नामान्तरकरण अवैध एवं गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट के पिता एवं दादा के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी जरिये सम्मन की गई, रेस्पोडेन्ट की ओर से जगदीश नन्दावाना का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट्स को सूचना दिये बिना ही तथा उन्हें तलब कर उनका पक्ष सुने बिना ही उनकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से पारित किया है । उक्त आराजी अपीलान्ट के परदादा नारायण पुत्र नन्दा के खाते की थी, नारायण के बाद उकत सम्पूर्ण आराजी अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज नहीं कर केवल मात्र किशनलाल के खाते दर्ज हुयी । इनके स्वर्गवास के बाद किशनलाल के वारिसान रामस्वरूप, सीताराम, जमनाबाई, भूली बाई उर्फ भूली के खाते दर्ज हुयी उक्त आराजी में रामस्वरूप के देहावसान पश्चात रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के खते दर्ज हुयी । इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज चली आ रही है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 अपीलान्ट के परदादा नारायण पुत्र नन्दा के वारिसान है । नारायण जी के 2 लडके थे भंवरलाल, और दूसरा पुत्र किशनलाल उर्फ किशना उर्फ कृष्णा है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के दादा एवं रेस्पो0 क्रम 5 लगायत 7 के पिता किशनलाल आत्मज नारायण द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिली भगत करके नारायण पुत्र नन्दा के स्वर्गवास के बाद स्वयं के खाते दर्ज करवाली गई । नारायण पुत्र नन्दा के फोत होने के बाद किशनलाल द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारियों के साथ मिलकर तथ्य छिपाकर किशनलाल द्वारा अपने सगे भाई 30–35 वर्ष से ससुराल में रहना बताकर पटवारी से मिली भगत कर रिपोर्ट फर्जी एवं गलत रूप से तैयार करवाकर ग्राम रसूलपुर की आराजी में नामान्तरकरण नम्बर 165 आदेश दिनांक 26.101972 से सम्पूर्ण आराजी किशनलाल के खाते दर्ज करवाली जबकि उक्त आराजी में मृतक नारायण जी के स्थान पर वारिसान में भंवरलाल एवं किशनलाल दोनों भाईयों के खाते दर्ज होनी थी । ससुराल में रहने से पिता की आराजी में पुत्र के अधिकार समाप्त नहीं होते है । उक्त रसूलपुर की आराजी पर अपीलान्ट्स के हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट्स के दादा भंवरलाल जी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे । इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण आराजी में से अपीलान्ट के हिस्से आराजी पर अपीलान्ट वर्तमान में काश्त करते चले आ रहे है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड रूल्स) एक्ट तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत जाकर उत्तराधिकार एवं वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है । वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में अपनी बहस में कथन किया है कि हुक्म जेर अपील अपीलान्ट्स को सूचना दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 5.8.2024 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को बताने पर हुयी । जिस पर नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.8.2024 को प्राप्त होने पर प्रतिलिपि मिलने की दिनांक से उक्त अवधि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश जेर अपील नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 26.10.92 ग्राम रससूलपुर तहसील लाडपुरा को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट के परदादा मृतक नारायण जी की उक्त वर्णित आराजी उत्तराधिकार के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज फरमाये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित फरमाये जाने की कृपा करें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलान्टगण एवं उनके दादा भंवरलाल जी को एवं पिता राजमल जी को पूर्णरूप से जानकारी थी, क्योंकि भंवरलाल जी ससुराल में घर जवांई रहने से ससुराल की सम्पत्ति में हिस्सा होने से नारायण के फौत होने पर तत्समय केवल किशनलाल जी के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, चूंकि अब अपीलांटगण द्वारा तीन पीढ़ी के बाद नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 26.10.1972 की अपील दिनांक 30.8.2024 को 52 साल बाद प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है, मियाद के सम्बन्ध में धारा 5 में बताये कारण ठोस आधार नहीं है, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण की अपीलांटगण के दादा, एवं पिता एवं अपीलांटगण को पूर्ण जानकारी थी । साथ ही अपीलांटगण द्वारा ग्राम रसूलपुर की उक्त वादग्रस्त भूमि किता–4 की 1.98 हे0 एवं ग्राम अरनियां पटवार हल्का गोदल्याहेडी की कुल 2 किता की 3.53 हे0 भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही की अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है । हक एवं अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद में ही तय होना है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Rev.)2021(2) 1041, RRT 2019 (2) 1118 प्रस्तुत किया है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 26.10.1972 के विरूद्व दिनांक 30.08.2024 को 51 वर्ष 10 माह बाद प्रस्तुत की गई है । जो मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र की बहस उभयपक्ष सुनी गई । चूंकि यह अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण 1972 का होकर लगभग 52 वर्ष बाद तीन पीढी गुजरने के बाद प्रस्तुत की गई है, ऐसा नहीं है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटगण एवं इनके पूर्वजों को नहीं रहा होगा । धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मियाद के शमन के लिए बताये गये कारण की पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 5.8.2024 को प्रथम जानकारी होने का कथन स्वीकार योग्य नहीं है । धारा 5 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

7- उभयपक्ष के तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से यह भी साबित हो रहा है कि ग्राम रसूलपुर की वादग्रस्त भूमि किता–4 की 1.98 हे0 एवं अन्य ग्राम अरनिया की भूमि किता–2 की 3.53 हे0 के सम्बन्ध में एक नियमित वाद अपीलांटगण द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है, जिसमें हकों का निर्धारण होना है । नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है, जिसमें हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । इसके लिए वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Rev.)2021(2) 1041, में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि –Revenue suit is pending between the parties-Mutation is a Fiscal prosiding in which rights,title orintrest cnnnot be decided इसी प्रकार RRT 2019 (2) 1118 सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि Regular suit for adjustication of right is pending befor the revenue coart-Held, no illegality in the coart उपरोक्त दौनों न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में लागू होते है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने एवं न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में नियमित वाद विचाराधीन होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. उपराक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर एवं वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन होने से खारिज की जाती है ।

9. निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा